शिक्षा में अनुसूचित जातियों की भागीदारी एवं उपलब्धियों पर शासकीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

लक्ष्मण रजाने

पी एच. डी. शोधार्थी समाजशास्त्र

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सारांश *:– मध्यप्रदेश का उज्जैन जिला अनुसूचित जाति बाहुल्य है उज्जैन जिले के महिदपुर, तराना एवं उज्जैन विकासखण्डों को शोध अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित किया गया है। उज्जैन जिले के महिदपुर, उज्जैन एवं तराना विकासखण्डों से शासकीय एवं निजी माध्यमिक से स्नातकोत्तर में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति का उत्तरदाता विद्यार्थियों का चयन कोटा निदर्शन विधि के द्वारा किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में कुल 24 विद्यालयों से 240 विद्यार्थियों को कोटा निदर्शन विधि का प्रयोग कर चयनित किया गया। जिसमें प्रत्येक विकासखण्ड से 4 शासकीय एवं 4 निजी कुल 24 विद्यालयों का चयन किया गया एवं एक विद्यालय से 10 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को चयनित किया गया। इस प्रकार 120 विद्यार्थी शासकीय विद्यालयों से एवं 120 विद्यार्थी निजी विद्यालयों से कुल 240 विद्यार्थियों को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास होता है। शिक्षित व्यक्ति समाज में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक होता है। वर्तमान दौर में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ रहें है। प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूचित जाति के विद्यार्थीयों में अंग्रेजी भाषा के प्रति जागरुकता एवं भागीदारी के स्तर का अध्ययन किया गया है*

प्रस्तावना :– शिक्षा और व्यक्ति के बीच में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य जीवन को समृद्ध बनाने का कार्य करती है। किसी भी देश के विकास कि दिशा का निर्धारण उस देश में दी जा रही शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा सामाजिक विकास एवं परिवर्तन का सशक्त साधन है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति का सबसे निम्न स्तर है। वर्ण व्यवस्था के कारण अनुसूचित जातियों का घृणित व्यवसाय करने को मजबूर किया गया। जब इन जातियों ने मृत जानवरो के शरीर से मांस निकालना, गंदी नालियों कि सफाई इत्यादि कार्य करने लगे तो इन्हे घृणा की दृष्टि से देखा गया। इसी घृणा कि मानसिकता ने जाति व्यवस्था नामक बीज का भारत में बीजारोपण किया। जिसे भारत में स्वीकार किया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि समाज जातियों में बंट गया, जिसमें अनुसूचित जातियों को सबसे निचले क्रम का स्थान प्राप्त हुआ। जिसके कारण अनुसूचित जाति आज भी अस्पृश्यता, गरीबी,उत्पीडन एवं भेदभाव का शिकार हो रही है। जनगणना 1961 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 14.67 प्रतिशत अनसूचित जातियॉ थी। जो 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या का 16.63 प्रतिशत हो गई है। महात्मा ज्योतिबा फूले एवं डॉ. अम्बेडकर के चलाये आन्दोलनो से अनुसूचित जातियों मे चेतना जाग्रत हुई। शिक्षा पर प्रतिबंध होने के कारण अनुसूचित जातियॉ अज्ञानतावश सही मार्गदर्शन के लिए भटक रहा था। संविधान के लागु होने से अनुसूचित जातियों कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हुआ है। इसके साथ ही शासन ने अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है जिससे अनुसूचित जातियॉ लाभान्वित हुई है या नही एवं अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने हेतु शोध समस्या का चयन किया गया।

शोध के उद्देश्य

1. अनुसूचित जातियों में शिक्षा में भागीदारी के स्तर का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर शासकीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र :– मध्यप्रदेश का उज्जैन जिला अनुसूचित जाति बाहुल्य है उज्जैन जिले के महिदपुर, तराना एवं उज्जैन विकासखण्डों को शोध अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित किया गया है।

अध्ययन का समग्र :– उज्जैन जिले के महिदपुर, उज्जैन एवं तराना विकासखण्डों से शासकीय एवं निजी, माध्यमिक से स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के समस्त उत्तरदाता विद्यार्थियों को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन की इकाई :– उज्जैन जिले के महिदपुर, उज्जैन एवं तराना विकासखण्डों से शासकीय एवं निजी, माध्यमिक से स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत् अनुसूचित जाति का चयनित उत्तरदाता विद्यार्थी को अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया।

निदर्शन विधि :– उज्जैन जिले के महिदपुर, उज्जैन एवं तराना विकासखण्डों से शासकीय एवं निजी माध्यमिक से स्नातकोत्तर में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति का उत्तरदाता विद्यार्थियों का चयन कोटा निदर्शन विधि के द्वारा किया गया है।

निदर्शन का आकार :– उज्जैन जिले के महिदपुर, उज्जैन एवं तराना विकासखण्डों से शासकीय एवं निजी माध्यमिक माध्यमिक से स्नातकोत्तर में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के कुल 300 विद्यार्थियों को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :–

तालिका 1.1

विद्यालयों से चयनित विद्यार्थी

चयनित विकासखण्ड	चयनित विद्यालय का प्रकार	चयनित विद्यालय की संख्या	चयनित विद्यार्थियों की संख्या
उज्जैन	शासकीय	4	4X10=40
	निजी	4	4X10=40
महिदपुर	शासकीय	4	4X10=40
	निजी	4	4X10=40
तराना	शासकीय	4	4X10=40
	निजी	4	4X10=40
कुल योग		**24**	**240**

अध्ययन क्षेत्र में कुल 24 विद्यालयों से 240 विद्यार्थियों को कोटा निदर्शन विधि का प्रयोग कर चयनित किया गया। जिसमें प्रत्येक विकासखण्ड से 4 शासकीय एवं 4 निजी कुल 24 विद्यालयों का चयन किया गया एवं एक विद्यालय से 10 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को चयनित किया गया। इस प्रकार 120 विद्यार्थी शासकीय विद्यालयों से एवं 120 विद्यार्थी निजी विद्यालयों से कुल 240 विद्यार्थियों को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

तालिका 1.2

महाविद्यालयों से चयनित विद्यार्थी

चयनित विकासखण्ड	चयनित महाविद्यालय का प्रकार	चयनित महाविद्यालय की संख्या	चयनित विद्यार्थियों की संख्या
उज्जैन	शासकीय	1	1X10=10
	निजी	1	1X10=10
महिदपुर	शासकीय	1	1X10=10
	निजी	1	1X10=10
तराना	शासकीय	1	1X10=10
	निजी	1	1X10=10
कुल योग		6	60

अध्ययन क्षेत्र में कुल 6 महाविद्यालयों से 60 विद्यार्थियों को कोटा निदर्शन विधि का प्रयोग कर चयनित किया गया। जिसमें 3 विकासखण्ड से 3 शासकीय एवं 3 निजी कुल 6 महाविद्यालयों का चयन किया गया एवं एक महाविद्यालय से 10 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को चयनित किया गया। इस प्रकार 30 विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालयों से एवं 30 विद्यार्थी निजी महाविद्यालयों से कुल 60 विद्यार्थियों को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

शिक्षा में अनुसूचित जातियो की भागीदारी :– शिक्षा के द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास होता है। शिक्षित व्यक्ति समाज में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक होता है। वर्तमान दौर में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ रहें है। प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूचित जाति के विद्यार्थीयों में अंग्रेजी भाषा के प्रति जागरुकता एवं भागीदारी के स्तर का अध्ययन किया गया है :–

तालिका 1

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान एवं भागीदारी का स्तर संबंधि विवरण

क्र.	विवरण	शासकीय		निजी	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बहुत अच्छा	9	6	29	19.4
2	अच्छा	33	22	57	38
3	बहुत कम	108	72	64	42.6
	कुल योग	150	100	150	100

शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत् अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में ज्ञान का स्तर एवं भागीदारी कितनी है जिसका विवरण तालिका 1 में दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सर्वाधिक 72 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत कम हैं सामान्यतः ये विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को पढ़ने–लिखने में बहुत कम प्रयोग करते है, व्यवहार के दौरान वे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करते है। जबकि 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा हैं। ये विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को पढ़ने–लिखने में बहुत अच्छा प्रयोग करते है, साथ ही व्यवहार के दौरान अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बहुत अच्छा करते है। 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अच्छा हैं। ये विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को पढ़ने–लिखने में अच्छा प्रयोग करते है, परन्तु व्यवहार के दौरान बहुत कम प्रयोग करते है।

निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालय में अध्यनरत् विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का स्तर एवं भागीदारी कितनी है। सर्वाधिक 42.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत कम हैं सामान्यतः ये विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को पढ़ने–लिखने में बहुत कम प्रयोग करते है, व्यवहार के दौरान वे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करते है। जबकि 19.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा हैं। ये विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को पढ़ने–लिखने एवं व्यवहार के दौरान बहुत अच्छा प्रयोग करते है। 38 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अच्छा हैं। ये विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को पढ़ने–लिखने में अच्छा प्रयोग करते है, परन्तु व्यवहार के दौरान बहुत कम प्रयोग करते है।

उपरोक्त विवरण के निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत् विद्यार्थियों की अपेक्षा निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत् अनुसूचित जाति विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान एवं भागीदारी का स्तर अधिक अच्छा हैं। इसका प्रमुख कारण निजी विद्यालयों का पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा या हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं का होना है। इसके साथ ही अंग्रजी भाषा का शिक्षको की नियुक्ति का होना भी है।

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों में कम्प्यूटर के ज्ञान एवं भागीदारी की स्थिति :– भूमण्डलीकरण के इस युग मे जिस व्यक्ति को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को निरक्षर के रुप में देखा जाने की प्रवृत्ति तीव्र बढ रही है । कम्प्यूटर का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो गया । विश्व में घटने वाली घटनाओं को कुछ समय बाद कम्प्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा तुरंत पता लगा लिया जाता है साथ ही कई महत्वपुर्ण कार्य कम्प्यूटर पर आसानी से किये जाते है। जो विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करता है। अनुसूचित जाति के अधिकांश बच्चें आज भी कम्प्यूटर शिक्षा से वंचित है।

तालिका 2

अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों में कम्प्यूटर के ज्ञान एवं भागीदारी की स्थिति संबंधि विवरण

क्र.	कम्प्यूटर का ज्ञान एवं भागीदारी है	शासकीय		निजी	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	17	11.3	36	24
2	नहीं	133	88.7	114	76
	कुल योग	150	100	150	100

अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों में कम्प्यूटर के ज्ञान एवं भागीदारी की स्थिति संबंधित विवरण तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 88.7 प्रतिशत शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालय में अध्यनरत् अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनको कम्प्यूटर का सैद्धांतीक ज्ञान नहीं है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता हासिल नहीं है। जबकि 11.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनको कम्प्यूटर का सैद्धांतीक ज्ञान है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्षता हासिल है। वे कम्प्यूटर पर कार्य सही ढंग से कर पाते हैं।

निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत् अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों में कम्प्यूटर के ज्ञान से सम्बन्धित विवरण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 76 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थी कम्प्यूटर के सैद्धांतीक ज्ञान नही है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष नहीं है। जबकि 24 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थीयों को कम्प्यूटर का सैद्धांतीक ज्ञान है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष है।

प्राप्त तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों की अपेक्षा निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत् अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों में कम्प्यूटर के ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने कि भागीदारी की, स्थिति थोड़ी अच्छी है। अध्ययन क्षेत्र मे पाया गया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में कम्प्युटर के ज्ञान का स्तर बहुत खराब है इसका प्रमुख कारण शासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय के बारे में नही पढ़ाया जाना है। जबकि 1 शासकीय विद्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध थे पर वहां पर भी कम्प्यूटर का ज्ञान बच्चों मे नहीं था कुछ बच्चे कम्यूटर चालु और बंद करना सीख गये थे साथ ही विद्युत एवं बिजली बिल की गंभीर समस्या पाई गयी।

अनुसूचित जातियों कि शैक्षणिक उपलब्धियों पर शासकीय योजनाओं का प्रभाव :– अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों के स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं के मिलने से उनमें शिक्षा के प्रति रुची बढ़ रही है। और जिसके कारण वह अपनी पढाई निरंतर जारी रख पा रहे है जो उनके शैक्षणिक विकास को दर्शाता है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सहायक :– मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम बच्चों के नामांकन, उपस्थिति बढ़ाने और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए केन्द्र शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रुप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सहायक है के सम्बन्ध में विद्याथीयों का अभिमत क्या है। तालिका 3.9 में इस सम्बन्ध में विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 3

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सहायक है संबंधि अभिमत

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बहुत अधिक	31	51.7
2	अधिक	18	30
3	कुछ हद तक	11	18.3
	कुल योग	60	100

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 51.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उत्तरदाता विद्यार्थियों ने माना है कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम उनका शैक्षणिक विकास करने मे बहुत अधिक सहायक है। जबकि 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में अधिक सहायक है। 18. 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास कुछ हद तक हुआ है।

प्राप्त तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर माना जा सकता है कि विद्यालयों में अध्यनरत् अनुसूचित जातियों के अधिकांश उत्तरदाता विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम लाभदायक सिद्ध हो रहा है

साइकिल योजना :– साइकिल योजना प्रारंभ की गयी जिसका उद्धेश्य बालिकाओं में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाना तथा शाला त्याागी बालिकाओं की दर को कम करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। साइकिल योजना बालिकाओं के नियमित विद्यालय आने–जाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गयी है। साईकिल योजना अनुसूचित जातियों की उत्तरदाता विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सहायक है के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के अभिमत तालिका 4 प्रस्तुत किये गये है –

तालिका 4

साइकिल योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सहायक है संबंधि अभिमत

क्र.	साइकिल योजना सहायक है	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बहुत अधिक	08	61.6
2	अधिक	03	23
3	कुछ हद तक	02	15.4
	कुल योग	13	100

साइकिल योजना अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सहायक है संबंधि अभिमत का विवरण तालिका 4 में दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक 61.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि साइकिल योजना विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में बहुत अधिक सहायक है। जबकि 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि शासन द्वारा संचालित साइकिल योजना विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास करने में भूमिका का योगदान अधिक है। 15.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का बताया है कि साइकिल योजना लाभ प्राप्त होने से विद्यार्थियों का कुछ हद तक शैक्षणिक विकास हुआ है।

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 61.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि साइकिल योजना से विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में योगदान बहुत अधिक हुआ है।

साइकिल योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्याथियों को विद्यालय से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों के अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है वह प्रतिदिन यात्रा के लिए रुपये खर्च करने में सक्षम नही है उन बालिकाओं को विद्यालय से जोडने में साइकिल योजना की मुख्य भूमिका है साइकिल योजना ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों मे शिक्षा के प्रति उत्साह को बढ़ाया है।

छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में लाभदायक :– अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वथ्य वातावरण प्रदान करने में छात्रावास योजना का महत्वपूर्ण योगदान है साथ ही उन्हें रहने के लिए आवास जैसी महत्वपूर्ण सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है। जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली आवास की समस्या का निराकरण हो जाता है। जिसके कारण विद्यार्थी शिक्षा की मुख्य धारा में बने रहते है। छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सहायक है संबंधि अभिमत को तालिका 5 में दर्शाया गया है :–

तालिका 5

छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के उत्तरदाता विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सहायक है संबंधि अभिमत

क्र.	छात्रावास योजना सहायक है	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बहुत अधिक	23	57.5
2	अधिक	9	22.5
3	कुछ हद तक	8	20
	कुल योग	40	100

छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास करने में सहायक है संबंधि अभिमत तालिका 5 से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 57.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि छात्रावास योजना अनुसूचित

जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास करने में बहुत अधिक सहायक है। जबकि सबसे कम 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाताओं का मानना है कि छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों का कुछ हद तक शैक्षणिक विकास में सहायक है। 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाताओं ने बताया कि शासन द्वारा संचालित छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास करने में अधिक सहायक है।

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में बहुत अधिक सफल हुयी है। अध्ययन क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है जहां अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से दुर–दुर जाना पड़ता है। प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयो से बचने के लिए छात्र–छात्राएं छात्रावास में प्रवेश ले रहें है, और अपना शैक्षणिक विकास आसानी से करने में सफल हो रहें है।

निष्कर्ष

1. सर्वाधिक 72 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का स्तर एवं भागीदारी बहुत कम हैं जबकि 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनमें अंग्रेजी भाषामें ज्ञान का स्तर एवं भागीदारीबहुत अच्छी हैं। 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनका अंग्रेजी भाषा में ज्ञान एवं भागीदारी का स्तरअच्छा हैं। एवं अशासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का स्तर एवं भागीदारीकितनी है। सर्वाधिक 42.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का स्तर एवं भागीदारी बहुत कम हैं वे विद्यार्थि अंग्रेजी पढ–लिख सकते है। जबकि 19.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाताआ विद्यार्थियों ने जानकारी दी की उन्हें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का स्तर एवं भागीदारी बहुत अच्छा हैं ये विद्यार्थि अंग्रेजी पढ़–लिख सकते है। 38 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान एवं भागीदारी का स्तर अच्छा हैं। निष्कर्षो के आधार पर कहा जा सकता है कि शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों की अपेक्षा अशासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान एवं भागीदारी का स्तर अधिक अच्छा हैं। इसका मुख्य कारण शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे अंगेजी भाषा के शिक्षको व प्रशिक्षित शिक्षको का अभाव के कारण है।
2. सर्वाधिक 86.7 प्रतिशत शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालय में अध्यनरत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि उनको कम्प्यूटर का किसी प्रकार का ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में भागीदारी नहीं है। जबकि 11. 3 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि उनको कम्प्यूटर का ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में भागीदारी है। वे इसका उपयोग सही ढंग से कर पाते हैं। एवं निजी विद्यालयों एवं महाविद्यालय में अध्यनरत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थियों में कम्प्यूटर के ज्ञान से सम्बन्धित विवरण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 76 प्रतिशत विद्यार्थी कम्प्यूटर के बारे में ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में भागीदारी नहीं है। जबकि 24 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि उनको कम्प्यूटर का ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में भागीदारी है। शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयो में कम्प्यूटर शिक्षा का अभाव व सभी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा नही दी जाती, इसका मुख्य कारण है।
3. सर्वाधिक 51.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम उनका शैक्षणिक विकास करने मे बहुत अधिक सहायक है। जबकि 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों ने बताया कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में अधिक सहायक है। 18.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास कुछ हद तक

हुआ है। प्राप्त तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालयों में अध्यनरत अनुसूचित जातियों के अधिकांश उत्तरदाता विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम लाभदायक सिद्ध हो रहा है।

4. सर्वाधिक 61.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता विद्यार्थीयों ने बताया कि साईकिल योजना विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में बहुत अधिक सहायक है। जबकि 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शासन द्वारा संचालित साईकिल योजना विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास करने में भूमिका का योगदान अधिक है। 15.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि साईकिल योजना लाभ प्राप्त होने से विद्यार्थियों का कुछ हद तक शैक्षणिक विकास हुआ है। साईकिल योजना अनुसूचित जातियों की उत्तरदाता बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है अनुसूचित जातियों की उत्तरदाता बालिकाओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है वह प्रतिदिन यात्रा के लिए रुपये खर्च करने में सक्षम नही है उन बालिकाओं को विद्यालय से जोडने में साईकिल योजना की मुख्य भूमिका है साईकिल योजना ने अनुसूचित जातियों की बालिकाओं मे शिक्षा के प्रति उत्साह को बढ़ाया है।
5. सर्वाधिक 57.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास करने में बहुत अधिक सहायक है। जबकि सबसे कम 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाताओं का मानना है कि छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों का कुछ हद तक शैक्षणिक विकास में सहायक है। 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाताओं ने बताया कि शासन द्वारा संचालित छात्रावास योजना अनुसूचित जातियों के उत्तरदाता विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास करने में अधिक सहायक है।

सुझाव :–

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के स्तर एवं भाषा के प्रयोग को बढाने के लिए प्राथमिक विद्यालयीन स्तर पर अंग्रेजी भाषा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर शासन को उपलब्ध करवाना होगा।
2. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान स्तर एवं प्रयोग को बढाने के लिए माध्यमिक विद्यालयीन स्तर पर कम्प्यूटर ज्ञान कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध शासन को करवाना चाहिए।
3. मध्यांह भोजन कार्यक्रम का संचालन शासन द्वारा जारी रखा जाना चाहिए।
4. साइकिल योजना के क्रियान्वयन होने से विद्यार्थियों कि विद्यालय तक पहुॅच आसान हुई है। इसलिए शासन को साइकिल योजना का निरंतर जारी रखना चाहिए।
5. छात्रावास योजना के क्रियान्वयन होने से विद्यार्थियों कि विद्यालय तक पहुॅच आसान हुई है। इसलिए शासन को छात्रावास योजना को निरंतर जारी रखना होगा।

संदर्भ

1. किसलय,शरदेन्दु एवं अनुपम पाण्डेय (2006) ''भारतीय शिक्षा–नीति'', प्रकाशन–डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. यादव, केदारनाथ सिंह एवं यादव रामजी (2009) ''भारतीय शिक्षा इतिहास एवं समस्याएं'', प्रकाशन अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
3. सद्गोपाल, अनिल (2000) ''शिक्षा में बदलाव का सवाल'' प्रकाशन – ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली,
4. कुमार, लोकेश एवं शैलेष पहाड़े (2018) ''कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण कल्पना एवं यथार्थ'', प्रकाशन–अक्षर विन्यास, उज्जैन।